

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़
(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)
पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 13/2023

जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/22

हिमांशु, रत्न ज्वैलर्स, नई मण्डी घड़साना

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी घड़साना

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

--: निर्णय :-

दिनांक : 01.02.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि आवेदक के द्वारा लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन दिनांक 30.05.2022 पर 30 दिन की अवधि बीत जाने पर भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी है।

प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी घड़साना से टिप्पणी प्राप्त की गयी। उपखण्ड अधिकारी घड़साना के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन क्रमांक/पीए/2024/266 दिनांक 31.01.2024 के अनुसार प्रार्थी को कार्यालय के पत्रांक/न्याय/2022/1121 दिनांक 10.06.2022 द्वारा प्रार्थी को सूचना दी जा चुकी है। प्रार्थी द्वारा चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक एवं चाहे अनुसार कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सूचना तैयार कर दिये जाने का प्रावधान सूचना का अधिकार अधिनियम में नहीं होने के कारण नहीं दी गई है। प्रार्थी को कार्यालय रिकार्ड का निरीक्षण कर सूचना प्राप्त करने हेतु सूचित किया जा चुका है। अपील निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को उनके आवेदन के संबंध में दिनांक 10.06.2022 को सूचना प्रेषित करते हुए कार्यालय रिकार्ड का निरीक्षण कर उपलब्ध रिकार्ड की सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा गया था। पत्र में यह भी वर्णित किया गया है कि आवेदक द्वारा चाही गयी सूचना आवेदक द्वारा चाहे अनुसार कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात् दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात् विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते हैं और न ही वे स्वयं का मत दे सकते हैं। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षित नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते, सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नहीं है। आवेदक से वांछित सूचना से संबंधित विशिष्टियां अपने आवेदन में अंकित करना अपेक्षित हैं।

प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को कार्यालय रिकार्ड का निरीक्षण कर उपलब्ध रिकार्ड की सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा गया है। अतः न्यायालय लोक सूचना अधिकारी द्वारा पारित किये गये विनिश्चय से सहमत हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 01.02.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़ I.A.S.
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़